2/13 11-1-22

(1)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजं अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला–अलवर

रवि कुमार वगै० बनाम अमृतलाल वगै०

मुकदमा प्रा० पत्र २१२ नं० 2/13/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2022	आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण ने मूल वाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 31.03.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.12, 727 रकबा 0.42, 727 / 1430 रकबा 0.01, 728 रकबा 0.18, 729 रकबा 0.24, 729 / 1431 रकबा 0.01 वाकेग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर की मौके की यथास्थिति रखें, निर्माण ना करें। बशर्ते प्रार्थी साधारण / रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 31.03.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 31.03.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर) पक्षी के वकील/कुलमुख्तार उपस्थित/...... अधिकारी ...... तामील ...... वास्ते ...... पत्रावली ...... को पेश हो। पत्रावली आज दिनांक ...... को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प में ...... राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम ...... में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान द्वारा राजीनामा/समझौता प्रस्तुत नहीं करने के कारण पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ...... न्यायालय में पेश हो।	

Rathore/Page1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.11.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब..........छुट्टी.......... ....कार्य में व्यस्त..........है। पत्रावली दिनांक..........20.12.23..........को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
20.12.23	पत्रावली पेश। P.O. ....कैम्प.......... ....कार्य में व्यस्त..........है। पत्रावली दिनांक..........18.1.24..........को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
18.1.24	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगायी गई। सायं 5:00 बजे तक इंतजार किया। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थना पत्र-212 RTA वकील व प्रार्थीगण की अदम हाजिरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) [illegible] अधिकारी [illegible]

atja/nar/pm5/2011/281